संख्या : सी.एम.669 आर/छ-पु-5-739/92

प्रेषक,

एस0 के0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनॉक: 17 अगस्त, 1994

विषय: अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्र के नये लाइसेंस जारी करने के संबंध में।

महोदय,

शासन के कोड संख्या-5730 आर(1)/आठ-5 दिनॉक 16.12.1985 में समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दिये गये थे कि शासन के अग्रिम आदेशों तक आयुधों के नये लाइसेंस स्वीकृत न किये जायें। शासनादेश संख्या-1459 आर/छ-पु-5-2 ए.क्यू./90, दिनांक 23 मार्च, 1990 एवं शासनादेश संख्या-1083 आर/छ-पु-5-2 ए.क्यू./90, दिनॉक 31 मार्च, 1992 द्वारा कतिपय श्रेणी के आवेदकों को प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुये उपर्युक्त आवेदकों को जिला स्तर से लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2- इस विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में जारी किये गये शासन के आदेशों को अतिक्रमित करते हुये शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के आवेदन पत्रों का निस्तारण जिला मजिस्ट्रेटो (लाइसेंसिंग अथारिटीज) द्वारा आयुध अधिनियम-1959 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली-1962 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। अत: अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों यथा एक नाली, दो नाली बन्दूकों, रिवाल्वर, पिस्टल एवं रायफल आदि के नये लाइसेंसों की स्वीकृति के प्रकरण अब शासन को संदर्भित न किये जायें।

3- उपर्युक्त परिस्थितियों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 1990 (सरकारी गजट उत्तर प्रदेश संख्या जी0आइ0 26 आर/छ-पु-5-1262/87, दिनांक 13 जुलाई, 1990) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश की सीमा के लिये अनिषिद्ध बोर आग्नेयास्त्र (आयुध नियमावली-1962 की अनुसूची एक की श्रेणी-1 (डी), 3, 4 व 5 के शस्त्र) के लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु सक्षम हैं। प्रदेश स्तर के लिये मान्य आग्नेयास्त्र लाइसेंसों के स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ऐसे आग्नेयास्त्र लाइसेंसों की सीमा और आगे, अर्थात सम्पूर्ण भारतवर्ष अथवा उसके किसी भाग तक बढ़ाने के प्रकरण, पूर्व की भॉति राज्य सरकार को सन्दर्भित किये जाते रहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण भारत की सीमा विस्तार के प्राधिकार राज्य सरकार में निहित हैं।

4- प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य के हित में यह आवश्यक है कि लाइसेंस स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक की आवश्यकता एवं औचित्य के प्रकाश में आयुध अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों पर गहराई से छानबीन एवं भली प्रकार से जॉच करा ली जाय ताकि आग्नेयास्त्र के लाइसेंस अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के पास न पहुँच सकें। तदुपरान्त धारा-14 के प्रकाश में आवेदक की आवश्यकता एवं उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जाने संबंधी आवेदन पत्रों पर तत्परता से निर्णय लिया जाय।

5- उपर्युक्त विषय पर मुझे यह भी कहना है कि अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति उत्तर प्रदेश तक सीमा विस्तार हेतु शासन को भेजे गये प्रकरणों को निक्षेप कर दिया गया है। अतः अब इस संबंध में शासन से अनावश्यक पत्राचार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरणों पर जिला मजिस्ट्रेट कृपया अपने स्तर पर स्वयं निर्णय लेने का कष्ट करें।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(एस0 के0 रिजवी)
विशेष सचिव, गृह।

संख्या : सी.एम.669 आर(1)/छ-पु-5-739/92

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- गृह (पुलिस) अनुभाग-13 को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

आज्ञा से,

(एस0 के0 रिजवी)
विशेष सचिव।